एचएसबी

पूरी बेंच

समक्ष केएस तिवाना, एस.एस. *दीवान और प्रीतपाल सिंह, ज.ज.*

हरियाणा राज्य,-अपीलकर्ता

बनाम

याद राम, *-प्रतिवादी*

1984 की आपराधिक अपील संख्या 383-एसबी

14 अक्टूबर 1986

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम (1954 का 37) - *धारा* 7, 16(1)(ए) *और* 16(1)(ए)(ii) - *अभियुक्त को धारा* 16 के तहत दोषी पाया गया; *अधिनियम की* (1)(ए)(ii) - धारा 16(1)(ए) *ऐसे अपराधों के लिए न्यूनतम छह महीने की सजा का प्रावधान करती है - इसके प्रावधान में पर्याप्त और विशेष कारणों के लिए कम से कम तीन महीने की सजा का प्रावधान है - न्यायालय- -क्या किसी ऐसे मामले में धारा* 16(1)(ए) *के तहत छह महीने से कम की सजा देने का हकदार है, जो प्रावधान में शामिल नहीं है- परंतुक की प्रयोज्यता को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत- कहा गया है*।

निर्धारित किया गया कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में समय-समय पर किए गए संशोधनों के इतिहास को पढ़ने से विधायी मंशा स्पष्ट हो जाती है कि विधायिका के पास हर अधिनियम के तहत

कानून तोड़ने वालों को सजा देने के लिए कड़े, कठोर और कड़े कदम उठाने का समय बीत गया है। महंगाई के इस दौर में, खाद्य पदार्थों का कारोबार करने वाले लोगों सहित हर कोई, लाभ के प्रोत्साहन से विभिन्न नापाक गतिविधियों और असामाजिक कृत्यों में शामिल होने के लिए प्रेरित होता है। अनुभव के आधार पर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अपराधों की पहचान की जा रही है और स्थिति की गंभीरता के अनुसार सख्त से सख्त दंड का प्रावधान किया जा रहा है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि न्यूनतम सज़ा की अवधारणा हमारी कानूनी व्यवस्था के लिए नई नहीं है। आपराधिक कानून में हालिया प्रवृत्ति कठोर, निवारक के साथ-साथ समाज के लिए खतरनाक अपराधों के लिए न्यूनतम सजा के प्रावधान के पक्ष में है। जब भी और जहां भी विधायिका, आर्थिक अपराधों और समाज के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले आपराधिक अपराधों जैसे मामलों में सोचती है कि सजा कठोर होनी चाहिए ताकि यह अपराधी को परेशान कर सके और एक निवारक के रूप में कार्य कर सके और इसके लिए कोई विधायी उपाय कर सके। कठोर एवं कड़ी सज़ा को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। किसी क़ानून के आदेश को लागू करने के लिए, उस अदालत की अध्यक्षता करने वाले अधिकारी के नरम विचारों के आधार पर नरमी का कोई महत्व नहीं होना चाहिए जिसके समक्ष किसी अपराधी पर मुकदमा चलाया जा रहा है। जब कानूनी प्रावधान अनिवार्य रूप में होता है और किसी कार्य को एक विशेष तरीके से करने का निर्देश देता है तो उसे केवल उसी तरीके से किया जाना चाहिए, किसी अन्य तरीके से नहीं। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 16 के साथ

पठित धारा 7 के तहत किसी अभियुक्त की दोषसिद्धि के मामले में, जहां न्यूनतम सजा निर्धारित की गई है, अदालत अधिनियम के तहत निर्धारित न्यूनतम से कम की सजा देने की हकदार नहीं है।

(पैरा 7 *और* 9)

निर्धारित किया गया कि अधिनियम की धारा 16 (1) (ए) (ii) के तहत आने वाले मामले में धारा 16 (1) के प्रावधान के पहले भाग की प्रयोज्यता को खारिज किया जाता है। उपरोक्त परंतुक का केवल दूसरा भाग ही सजा के मामले को कवर करेगा। उपरोक्त परंतुक के आधार पर न्यायालय पर्याप्त और विशेष कारण बताने के बाद आरोपी को ऐसी अवधि की सजा दे सकता है, जो मुख्य धारा में निर्धारित न्यूनतम से कम हो। परंतुक में प्रयुक्त शब्द 'हो सकता है' है, जो इस धारा में निर्धारित न्यूनतम से कम की सजा के पारित होने से पहले लगाया जाता है। 'हो सकता है' शब्द का उपयोग न्यायालय को मुख्य धारा में दिए गए दंड देने के लिए पर्याप्त और विशेष कारण बताने से भी छूट नहीं देता है। परंतुक को मुख्य प्रावधान के साथ पढ़ा जाना चाहिए और इन दोनों प्रावधानों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से समझा जाना चाहिए। अधिनियम का विधायी इतिहास दिखाएगा कि क्रमिक संशोधनों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों को सबसे कठोर और कठोर बना दिया गया है और इस प्रकार प्रावधान में 'हो सकता है' शब्द द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका और अर्थ को देखना भी प्रासंगिक है। इस संदर्भ में 'हो सकता है' शब्द का अर्थ सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए 'करेगा' होगा, अन्यथा यह संपूर्ण को नष्ट कर देगा। विधायिका ने कठोर प्रभाव देने के लिए

दंडात्मक प्रावधान बनाने का कार्य किया। प्रावधान की भाषा यह है कि कारण पर्याप्त और विशेष होने चाहिए और 'और' संयोजन के उपयोग का मतलब यह होगा कि कारण भी पर्याप्त होंगे।

विशेष के रूप में और इन दोनों कारणों का अस्तित्व होना चाहिए। प्रावधान में आगे कहा गया है कि जिन कारणों को न्यायालय पर्याप्त और विशेष मानता है, उन्हें फैसले में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए और इन शब्दों का मात्र उल्लेख पर्याप्त नहीं हो सकता है। कारणों को आगे बढ़ाना होगा कि ये कैसे पर्याप्त हैं और किस तरह से वे अधिनियम की धारा 16 के तहत निर्धारित न्यूनतम यानी छह महीने से कम का जुर्माना देने के लिए न्यायालय के दिमाग को प्रभावित करने में विशेष हैं। न्यायालय के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपने भीतर नरमी की ओर झुकाव के लिए इन कारणों का पता लगाए। क़ानून में प्रदान की गई सीमाएँ और जब तक ये कारण मौजूद नहीं पाए जाते तब तक अधिनियम की धारा 16 का प्रावधान लागू नहीं होता है। यह भी ध्यान में रखना होगा कि परंतुक इसमें प्रावधानित न्यूनतम सजा का संकेत दिया गया है और कोई भी न्यायालय पर्याप्त और विशेष कारणों से भी इसे प्रावधान में दी गई सजा से अधिक कम नहीं कर सकता है।

(पैरा 12, 13 और 14.)

पंजाब राज्य *बनाम* जीत सिंह
(1983) (1) सीएलआर 396.

हरियाणा राज्य *बनाम* ईशर दास 1985 पीएलआर 341

पंजाब राज्य *बनाम* मोहन लाई

1983 (1) खाद्य अपमिश्रण मामलों की रोकथाम, 195

(अधिक शासित)

श्री केके डोडा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (द्वितीय), नारनौल के आदेश, *दिनांक* 24 *मार्च,* 1984 के खिलाफ अपील, *जिसमें श्री एन.सी. नाहटा, उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोहिंदरगढ़ के आदेश, दिनांक* 10 *नवंबर,* 1981/12 *नवंबर,* 1981 को संशोधित किया गया है। *अतिरिक्त* सत्र *न्यायाधीश ने दोषसिद्धि और जुर्माने की* 4 *सजा की पुष्टि की लेकिन अदालत उठने तक मूल सजा कम कर दी।*

नोट- आरोपी प्रतिवादी याद राम को खाद्य अपमिश्रण *निवारण अधिनियम की धारा* 16 (1) (ए) *के साथ पठित* धारा 7 के तहत दोषी ठहराया गया और छह महीने के लिए कठोर सजा और *रुपये* 1,000 के *जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर उपमंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोहिंदरगढ़ द्वारा चार महीने के लिए अतिरिक्त आरआई की सजा सुनाई गई, लेकिन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नारनौल ने अपनी सजा बरकरार रखते हुए, आरोपी-प्रतिवादी की मूल सजा को रद्द कर दिया, सजा की पुष्टि की। जुर्माना लगाया और न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। हरियाणा राज्य ने अपीलीय न्यायालय द्वारा सजा कम करने के खिलाफ इस माननीय न्यायालय में अपील की है और प्रार्थना की है कि सजा को कानून के अनुसार बढ़ाया जाए।*

मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न का निर्णय करने के लिए 30 *अप्रैल,* 1986 *को माननीय श्री न्यायमूर्ति केएस तिवाना और माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रीतपाल सिंह की डिवीजन डेन्च द्वारा मामला फुल डेन्च को भेजा गया था*

पूर्ण पीठ में माननीय न्यायमूर्ति केएस तिवाना, माननीय श्री न्यायमूर्ति एसएस दीवान और माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रीतपाल सिंह शामिल हैं जिन्होंने अंततः 14 अक्टूबर, 1986 *को सह निर्णय लिया ।*

अपीलकर्ता की ओर से बीएस पवार, एएजी हरियाणा ।

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता डीएस बाली ।

निर्णय

केएस तिवाना, ज.-

(1) याद राम पर उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोहिंदरगढ़ द्वारा मुकदमा चलाया गया और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 16(1) (ए) के साथ पठित धारा 7 के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया, जिसे इसके बाद इस अधिनियम के रूप में जाना जाएगा। उन्हें छह महीने के कठोर कारावास और 1,000 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर उसे चार माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। याद राम ने सजा के खिलाफ अपील दायर की, जिसकी सुनवाई विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नारनौल ने की। विद्वान अपीलीय अदालत के समक्ष याद राम ने अधिनियम की धारा 16(1) (ए) के साथ पठित धारा 7 के तहत अपनी दोषसिद्धि का विरोध नहीं किया, बल्कि केवल मूल सजा में कमी के लिए प्रार्थना की। अपनी प्रार्थना के समर्थन में उन्होंने आग्रह किया कि वह केवल कुछ दिनों के लिए दूध बेचते हैं और नियमित दूध विक्रेता नहीं हैं। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि वह पहला अपराधी है और उसका परिवार बड़ा है। प्रथम अपीलीय अदालत में याद राम का प्रतिनिधित्व करने वाले

वकील ने बयान दिया कि उन्हें मामले के गुण-दोष पर कुछ नहीं कहना है और उन्होंने अपने मुवक्किल से केवल सजा में नरमी का आग्रह किया। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नारनौल ने गुण-दोष के आधार पर प्रतिवादी याद राम की सजा के आदेश की पुष्टि करते हुए अदालत के उठने तक कारावास की सजा को कम कर दिया, लेकिन ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाए गए डिफ़ॉल्ट खंड के साथ जुर्माने की सजा को बरकरार रखा। निर्धारित न्यूनतम से कम सजा के लिए। प्रतिवादी पर अधिनियम की धारा 16 के तहत यह अपराध, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने एक डिवीजन पर भरोसा किया। इस न्यायालय की खंडपीठ के फैसले को *पंजाब राज्य* बनाम *जीत* सिंह, (1) के रूप में रिपोर्ट किया गया।

(1)1983 खाद्य मिलावट जर्नल 233=1983(1) लॉ रिपोर्टर 396.

(3) हरियाणा राज्य ने कारावास की सजा को बढ़ाने के लिए इस अदालत में अपील की है। प्रस्ताव चरण में अपील को डिवीजन बेंच में स्वीकार कर लिया गया था।

(4) *हरियाणा राज्य* बनाम *ईशर दास (2)* में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले के मद्देनजर, जिसमें यह माना गया था कि सजा के तहत निर्धारित न्यूनतम से कम होगी अधिनियम की धारा 16 केवल उस धारा के परंतुक के अंतर्गत आने वाले मामलों में ही दी जा सकती है और किसी अन्य मामले में नहीं, *जीत सिंह का मामला* एक अच्छा कानून नहीं था और पूर्ण पीठ के फैसले के मद्देनजर इसे खारिज करने की आवश्यकता है। डिवीजन बेंच ने मामले को एक बड़ी बेंच को भेजते हुए कहा: -

> " *जीत सिंह के मामले (सुप्रा) में सजा के फैसले की टिप्पणियाँ ईशर डॉस के मामले (सुप्रा)* में फॉल बेंच के फैसले के साथ विरोधाभासी हैं : एक डिवीजन बेंच में बैठे हुए, हम, पूर्ण बेंच के आधार पर , *ईशर दास मामले* में (सुप्रा) जीत *सिंह के मामले को* खारिज नहीं कर सकता , (सुप्रा), जब तक *जीत सिंह के मामले* (सुप्रा) को खारिज नहीं किया जाता, इससे सजा के मामले में अधीनस्थ न्यायालयों के लिए मुश्किलें पैदा होने की संभावना है धारा 7 के तहत मामलों में, अधिनियम की धारा 16(1)(ए) के साथ पढ़ें।"

इन टिप्पणियों के साथ, डिवीजन बेंच ने संदर्भित किया: एक बड़ी बेंच के गठन के लिए विद्वान मुख्य न्यायाधीश के पास मामला बताए गए उद्देश्य

को पूरा करता है। इस तरह ये मामला हमारे सामने आया है।

(5) हमारे सामने प्रतिवादी यादराम की ओर से श्री डी.एस. बाली ने एक प्रयास किया था जिसमें उन्होंने आग्रह किया था कि *जीत सिंह की सहजता* सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित थी और इसलिए यह सही निर्णय लिया गया था। हमारे सामने सवाल यह है कि क्या अधिनियम की धारा 16 के साथ पठित धारा 7 के तहत आरोपी को दोषी ठहराए जाने के बाद चार्ट दंड धारा में दिए गए न्यूनतम प्रावधान से कम सजा दे सकता है।

(6) जिस कानून के तहत यह मामला आता है उसे खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम का नाम दिया गया है, और इसे 1954 में कानून की किताब में लाया गया था। इस अधिनियम के अधिनियमन के उद्देश्यों पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि खाद्य पदार्थों में मिलावट सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है, इसलिए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम बनाया गया है, इस असामाजिक बुराई को खत्म करने और भोजन की वस्तुओं में शुद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिनियमित, इस अधिनियम के अधिनियमन के समय यह कहा गया था: -

> *"वस्तुओं और कारणों का विवरण* - खाद्य पदार्थों में मिलावट इतनी व्यापक है और यह बुराई इतनी व्यापक और लगातार फैल गई है कि विधेयक में दिए गए कुछ कठोर उपाय से कम कुछ भी स्थिति को बदलने की उम्मीद नहीं कर सकता है। (इस सबसे

असामाजिक व्यवहार पर) केवल एक ठोस और दृढ़ हमले से ही देश को राहत मिलने की उम्मीद की जा सकती है। प्रभावी होने के लिए सभी उपाय सरल होने चाहिए।

(2)1985(1) पीएलआर 341

अधिनियम की धारा 7 में निर्दिष्ट कुछ प्रकार की वस्तुओं की बिक्री, या भंडारण, बिक्री या वितरण के लिए किसी व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी के द्वारा निर्माण पर प्रतिबंध है। धारा 16 दंडात्मक धारा है। संशोधन अधिनियम 1976 के 34 की धारा 12 के तहत, इसके संशोधन के बाद, इसे इस प्रकार पढ़ा गया:

"उपधारा (1-ए) के प्रावधानों के अधीन, यदि कोई व्यक्ति-

(ए) चाहे स्वयं द्वारा, या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, भारत में आयात करता है या बिक्री के लिए विनिर्माण करता है, या किसी खाद्य वस्तु का भंडारण, बिक्री या वितरण करता है-

(i) जो धारा 2 के खंड (आई-ए) के उप-खंड (एम) के अर्थ में मिलावटी है या उस धारा के खंड (9) के अर्थ में गलत ब्रांडेड है या जिसकी बिक्री इस अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत निषिद्ध है या उसके तहत या खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरण के आदेश द्वारा बनाया गया कोई नियम;

(ii) उप-खंड (i) में निर्दिष्ट खाद्य पदार्थ के अलावा, इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या इसके तहत बनाए गए किसी नियम

के उल्लंघन में; या

(बी) चाहे स्वयं द्वारा या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, भारत में आयात करता हो या बिक्री के लिए विनिर्माण करता हो, या किसी ऐसी मिलावट का भंडारण, बिक्री या वितरण करता हो जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है; या

(सी) इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत खाद्य निरीक्षक को नमूना लेने से रोकता है; या

(डी) खाद्य निरीक्षक को इस अधिनियम के तहत या उसके द्वारा उसे प्रदत्त शक्ति के तहत कोई अन्य काम करने से रोकता है।

(ई) किसी खाद्य पदार्थ का निर्माता होने के नाते, उसके कब्जे में या उसके कब्जे वाले किसी भी परिसर में कोई ऐसी मिलावट है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है; या

(एफ) किसी खाद्य पदार्थ के विज्ञापन के प्रयोजन के लिए केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक या किसी सार्वजनिक विश्लेषक द्वारा किए गए परीक्षण या विश्लेषण की किसी रिपोर्ट या प्रमाण पत्र या उसके किसी उद्धरण का उपयोग करता है; या

(जी) चाहे स्वयं द्वारा या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, विक्रेता को उसके द्वारा बेचे गए किसी खाद्य पदार्थ के संबंध में लिखित रूप में झूठी वारंटी देता है,

धारा 6 के प्रावधानों के तहत जिस दंड के लिए वह उत्तरदायी हो सकता है, उसके अतिरिक्त वह उस अवधि के लिए कारावास से भी दंडनीय होगा जो इससे कम नहीं होगी, छह महीने से अधिक लेकिन जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा:

उसे उपलब्ध कराया :-

(i) यदि अपराध खंड (ए) के उप-खंड (i) के तहत है और

भोजन के एक लेख के संबंध में है, प्राथमिक भोजन है, जो मानव एजेंसी के कारण मिलावटी है या भोजन के एक लेख के संबंध में है जो गलत ब्रांडेड है धारा 2 के खंड (9) के उपखंड (के) के अर्थ में; या

(ii) यदि अपराध खंड (ए) के उपखंड (ii) के तहत है, लेकिन खंड (ए) के तहत बनाए गए किसी भी नियम के उल्लंघन के संबंध में अपराध नहीं है या धारा 23 की उपधारा (1-ए) के खंड (जी) या धारा 24 की उपधारा (2) के खंड (बी) के तहत,

न्यायालय, निर्णय में उल्लिखित किसी भी पर्याप्त और विशेष कारण के लिए, कारावास की सजा दे सकता है जो तीन महीने से कम नहीं होगी लेकिन जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है जो इससे कम नहीं होगा पाँच सौ रुपये;

बशर्ते कि यदि अपराध खंड (ए) के उप-खंड (ii) के तहत है और उप-धारा (1-ए) के खंड (ए) या खंड (जी) के तहत बनाए गए किसी भी नियम के उल्लंघन के संबंध में है। धारा 23 या उसके अंतर्गत. धारा 24 की उपधारा (2) का खंड (बी)। अदालत, फैसले में उल्लिखित किसी भी पर्याप्त और विशेष कारणों से, तीन महीने तक की कैद और पांच महीने तक के जुर्माने की सजा दे सकती है। सौ रूपये।"

हम अधिनियम की धारा 16 (1-ए) को भी पुन: प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसका उल्लेख इस धारा के प्रावधानों में से एक में किया गया है:

"(1-ए) कोई भी व्यक्ति, चाहे स्वयं द्वारा या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, भारत में आयात करता है या बिक्री के लिए विनिर्माण करता है, या भंडारण करता है, बेचता है या वितरित करता है-

(i) धारा 2 के खंड (आइए) के उप-खंड (ई) से (आई) (दोनों सम्मिलित) में से किसी के अर्थ में मिलावटी है; या;

(ii) कोई भी मिलावट जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वह इसके अतिरिक्त, धारा 6 के प्रावधानों के तहत वह दंड के लिए उत्तरदायी हो सकता है, कारावास से दंडनीय होगा जो एक वर्ष से कम नहीं होगा लेकिन जिसे छह साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना जो दो हजार रुपये से कम नहीं होगा:

बशर्ते कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे खाद्य पदार्थ या मिलावट का सेवन किया जाए तो उसकी मृत्यु होने की संभावना है या उसके शरीर पर ऐसी क्षति होने की संभावना है जो भारतीय दंड संहिता 1860 का (45) की धारा 320 के अर्थ में गंभीर चोट होगी, वह कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना, जो पांच हजार रुपये से कम नहीं होगा।

(b) मूल अधिनियम में धारा 16 इस रूप में नहीं थी। मूलतः यह इस प्रकार था:-

"16. *दंड.* – (1) यदि कोई व्यक्ति –

(ए) चाहे स्वयं द्वारा या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा, भारत में आयात करता है या बिक्री के लिए विनिर्माण करता है, या भंडार करता है,

इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या इसके तहत बनाए गए किसी नियम के उल्लंघन में खाद्य पदार्थ की कोई भी वस्तु बेचता या वितरित करता है, या

(बी) इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत खाद्य निरीक्षक को नमूना लेने से रोकता है, या

(सी) किसी खाद्य निरीक्षक को इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत प्रदत्त किसी अन्य शक्ति का प्रयोग करने से रोकता है, या

(डी) किसी खाद्य पदार्थ का निर्माता होने के नाते, उसके कब्जे में या उसके कब्जे वाले किसी भी परिसर में कोई ऐसी सामग्री है जिसका उपयोग मिलावट के उद्देश्य से किया जा सकता है, या

(ई) ऐसा व्यक्ति होने के नाते जिसकी सुरक्षित अभिरक्षा में धारा 10 की उपधारा (4) के तहत कोई खाद्य वस्तु रखी गई है, ऐसी वस्तु के साथ छेड़छाड़ करता है या किसी अन्य तरीके से हस्तक्षेप करता है, या

(एफ) केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक या किसी सार्वजनिक विश्लेषक द्वारा किए गए परीक्षण या विश्लेषण की किसी रिपोर्ट या प्रमाण पत्र या उसके किसी उद्धरण का उपयोग किसी खाद्य पदार्थ के विज्ञापन के लिए किया जाता है, या

(जी) चाहे स्वयं द्वारा या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा क्रेता को उसके द्वारा बेचे गए किसी खाद्य पदार्थ के संबंध में लिखित रूप में झूठी वारंटी दी गई हो,

वह धारा 6 के प्रावधानों के तहत उस दंड के अतिरिक्त, जिसके लिए वह उत्तरदायी हो सकता है, दंडनीय होगा-

(i) पहले अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से;

(ii) दूसरे अपराध के लिए दो साल तक की कैद और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है:

बशर्ते कि अदालत के फैसले में उल्लिखित इसके विपरीत विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, ऐसा कारावास नहीं होगा

जो एक वर्ष से कम हो और ऐसा जुर्माना जो दो हजार रुपये से कम नहीं होगा;

(iii) तीसरे और उसके बाद के अपराधों के लिए, कारावास चार साल तक की सज़ा और जुर्माना हो सकता है:

बशर्ते कि अदालत के फैसले में उल्लिखित विशेष और पर्याप्त विपरीत कारणों के अभाव में, ऐसा कारावास दो साल से कम नहीं होगा और ऐसा जुर्माना तीन हजार रुपये से कम नहीं होगा।

(2) यदि इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया कोई भी व्यक्ति बाद में इसी तरह का अपराध करता है तो यह उस अदालत के लिए वैध होगा जिसके समक्ष दूसरी या बाद की सजा होती है, जिससे अपराधी का नाम और निवास स्थान, अपराध और लगाए गए दंड का पता लगाया जा सके। अपराधी के खर्च पर ऐसे समाचार पत्रों में या ऐसे अन्य तरीके से प्रकाशित किया जाए जैसा न्यायालय निर्देशित करे। इस तरह के प्रकाशन का खर्च दोषसिद्धि पर आने वाली लागत का हिस्सा माना जाएगा और जुर्माने के समान ही वसूल किया जाएगा।"

यह प्रावधान जैसा कि मूल अधिनियम में था, अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं समझा गया था। धारा 16 में दी

गई सज़ा में नरमी को उन कारणों में से एक के रूप में देखा गया जिसने उस क़ानून के प्रभावी कामकाज में बाधा उत्पन्न की। अधिनियम को 1964 के संशोधन अधिनियम 49 के माध्यम से संशोधित किया गया था। 1964 में इसके संशोधन के लिए दिए गए कारण थे: -

> "पिछले लगभग आठ वर्षों के दौरान खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के प्रशासन से पता चला है कि अधिनियम द्वारा प्रदान की गई मशीनरी अपर्याप्त है और मिलावट में लिप्त होने की बढ़ती प्रवृत्ति से निपटने के लिए, कुछ प्रावधान में संशोधन आवश्यक है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद ने अक्टूबर, 1960 में हुई अपनी बैठक में स्थिति की समीक्षा की और अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की कि अधिनियम के दंडात्मक प्रावधानों को और अधिक निवारक बनाया जाना चाहिए।

"यह भी माना जाता है कि अधिनियम के दंडात्मक प्रावधान अपर्याप्त हैं और मिलावट की बुराई पर प्रभावी रोक लगाने के लिए उन्हें और अधिक निवारक बनाया जाना चाहिए। "

1964 के संशोधन अधिनियम 49 के बाद, अधिनियम की धारा 16 इस प्रकार थी:

"16 *-दंड.* –(1) यदि कोई व्यक्ति–

(ए) चाहे वह स्वयं या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भारत में आयात करता हो या बिक्री के लिए विनिर्माण करता हो, या भंडार करता हो, भोजन की कोई वस्तु बेचता या वितरित करता है:

(i) जो मिलावटी या गलत ब्रांडेड है या जिसकी बिक्री सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरण द्वारा निषिद्ध है;

(ii) उप-खंड (i) में निर्दिष्ट खाद्य पदार्थ के अलावा, इस अधिनियम के किसी प्रावधान या इसके तहत बनाए गए किसी नियम के उल्लंघन में; या

(बी) इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत खाद्य निरीक्षक को नमूना लेने से रोकता है; या

(सी) किसी खाद्य निरीक्षक को इस अधिनियम द्वारा या इसके अंतर्गत

प्रदत्त किसी अन्य शक्ति का प्रयोग करने से रोकता है; या ;

(डी) भोजन की किसी वस्तु का निर्माता होने के नाते, इसमें शामिल है। उसके कब्जे में, या उसके कब्जे वाले किसी भी परिसर में कोई सामग्री' जिसका उपयोग मिलावट के प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है; या

(ई) किसी खाद्य पदार्थ के विज्ञापन के प्रयोजन के लिए केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक या किसी सार्वजनिक विश्लेषक द्वारा किए गए परीक्षण या विश्लेषण की किसी रिपोर्ट या प्रमाण पत्र या उसके किसी उद्धरण का उपयोग करता है; या

(एफ) क्या स्वयं या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विक्रेता को उसके द्वारा बेचे गए किसी खाद्य पदार्थ के संबंध में लिखित रूप में झूठी वारंटी दी गई है; वह, धारा 6 के प्रावधानों के तहत जिस दंड के लिए उत्तरदायी हो सकता है, उसके अतिरिक्त, कारावास से, जिसकी अवधि छह महीने से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे छह साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा जो एक हजार रुपये से कम ना होगा:

उसे उपलब्ध कराया -

(i) यदि अपराध खंड (ए) के उप-खंड (i) के तहत है और खाद्य पदार्थ के एक लेख के संबंध में है जो धारा 2 के खंड (i) के उप-खंड (1) के तहत मिलावटी है या उप- खंड के तहत गलत ब्रांडेड है (के) उस धारा के खंड (9) का; या

(ii) यदि अपराध खंड (ए) के उप-खंड (ii) के तहत है, तो अदालत, फैसले में उल्लिखित किसी भी पर्याप्त और विशेष कारणों से, छह महीने से कम अवधि के लिए कारावास या जुर्माना लगा सकती है। एक हजार रुपये से कम या छह महीने से कम अवधि के लिए कारावास और एक हजार रुपये से कम जुर्माना दोनों।

यहां तक कि अधिनियम के दंडात्मक प्रावधानों में 1964 के अधिनियम 49 द्वारा लाया गया यह संशोधन भी खाद्य पदार्थों में मिलावट के खतरे को रोकने के लिए अपर्याप्त था। कोई भी अपनी नज़र इस तथ्य पर से नहीं हट सकता कि देश में आम तौर पर लोगों के नैतिक मानकों में और विशेष रूप से भोजन की वस्तुओं जैसे कुछ व्यापारों में शामिल लोगों के नैतिक मानकों में भारी गिरावट आई है। अब हमें केवल खाद्य पदार्थों के व्यापार में लगे लोगों तक ही सीमित रहना है, अन्य व्यापारों के बारे में नहीं। खाद्य पदार्थों में मिलावट, खाद्य पदार्थों की गलत ब्रांडिंग, घटिया विपणन और इन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ रहा है। यहां तक कि 1954 में, जब यह अधिनियम पहली बार लागू किया गया था, संसद इस व्यापार में लिप्त लोगों द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट की लगातार बढ़ती प्रवृत्ति से चिंतित थी। विधि आयोग ने खाद्य पदार्थों के इस व्यापार में लगे लोगों की इनमें मिलावट करने की बढ़ती प्रवृत्ति के मामले में संसद की *चिंता को भी साझा किया। विधि आयोग ने अपनी 47वीं रिपोर्ट में* अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों को लागू न करने की सिफारिश सरकार से की खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अंतर्गत

मामलों के बारे में विधि आयोग ने कहा:-

> "हम इस बात की सराहना करते हैं कि सुझाया गया संशोधन सज़ा देने के मौजूदा रुझानों के साथ स्पष्ट रूप से विरोधाभासी होगा। लेकिन अंततः, सभी सज़ाओं का औचित्य समाज की सुरक्षा है। ऐसे अवसर आते हैं जब कोई अपराधी इतना असामाजिक होता है कि उसका तत्काल और कभी-कभी लंबे समय तक कारावास समाज की सुरक्षा का सबसे अच्छा आश्वासन होता है। समाज की सुरक्षा की सर्वोपरि आवश्यकता के कारण पुनर्वास पर विचार करना होगा। इसलिए, हम उपरोक्त मामलों में परिवीक्षा को बाहर करने के लिए सभी अधिनियमों में उपयुक्त संशोधन की सिफारिश कर रहे हैं।"

सर्वोच्च न्यायालय ने भी *ईशर दास* बनाम *पंजाब राज्य* (3), *जय नारायण* बनाम *नगर निगम मामले में दिए गए अपने निर्णयों में इस अधिनियम को लागू करने के लिए अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों को बाहर करने के पक्ष में खुद को व्यक्त किया। दिल्ली* (4) और *प्याराली के. तेजाही* बनाम *महादेव रामचन्द्र डांगे और अन्य* (5)। दंडविद्या की बदलती अवधारणा के बावजूद, जब लाभकारी कानून का लाभ देकर अपराधी को सुधारने और उसे समाज में पुनर्वासित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, तो संसद ने 1976 के अधिनियम 34 में संशोधन करके *अधिनियम* में धारा 20-एए को रोक दिया है। धारा 360, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, और अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रावधानों का अनुप्रयोग। अनुभव से यह फिर से महसूस किया गया कि

संशोधन के बावजूद अधिनियम में उपाय प्रदान किए गए हैं! 1964 में पर्याप्त एवं पर्याप्त नहीं थे। अधिनियम की दंडात्मक धारा में और अधिक कठोर प्रावधान जोड़ा गया। 1976 में संसद में संशोधन के लिए दिये गये कारण इस प्रकार थे:-

> "देश में खाद्य पदार्थों में मिलावट बड़े पैमाने पर है और यह समुदाय के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है। यह पहले से ही कम पोषण मानकों में भारी सेंध लगाता है, और कई लोगों के लाभों को प्रभावित करता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जिन पर बड़ी रकम खर्च की जाती है, उन्हें घातक रूप से कमजोर कर दिया जाता है। इस बुराई के खिलाफ एक बड़ा हमला अभी बाकी है। समस्या की गंभीरता और राष्ट्र के स्वास्थ्य के लिए बढ़ते खतरे को ध्यान में रखते हुए, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है; 1954, ताकि खामियों को दूर किया जा सके और इस खतरे को रोकने के लिए अधिक कठोर और प्रभावी उपाय किए जा सकें।"

(3) एआईआर 1972 एससी 1295।

(4) एआईआर 1972 एससी 2607।

(5) एआईआर 1974 एससी 228।

नवीनतम संशोधनों के साथ संशोधित अनुभाग उपरोक्त पैराग्राफ 5 में उद्धृत किया गया है।

7. अधिनियम में किए गए संशोधनों के इतिहास से, विधायी मंशा स्पष्ट हो जाती है कि विधायिका हर बार अधिनियम के तहत कानून तोड़ने वालों को दंड देने के लिए, कठोर और सख्त कदम उठाती रही है। मुद्रास्फीति के इन दिनों में, खाद्य पदार्थों का कारोबार करने वाले व्यक्तियों सहित हर कोई, लाभ के प्रोत्साहन से विभिन्न नापाक गतिविधियों और असामाजिक कृत्यों में शामिल होने के लिए प्रेरित होता है। मिलावटी, गलत ब्रांड वाले और नकली खाद्य पदार्थों की मार्केटिंग और उपभोक्ताओं को बेचने के लिए हर दिन संदिग्ध तरीकों से पैसा कमाने की नई तकनीकें अपनाई जाती हैं। अपराध डिटेक्टर भोजन में मिलावट का पता लगाने के प्रयास कर रहे हैं, जो चिंताजनक रूप से बढ़ रहा है। अनुभव के आधार पर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अपराधों की पहचान की जा रही है और स्थिति की गंभीरता के अनुसार सख्त और कठोर दंड का प्रावधान किया जा रहा है।

8. अधिनियम की धारा 16, जैसा कि मूल रूप से अधिनियम में थी, में न्यूनतम सज़ा का प्रावधान नहीं था। सज़ा वैकल्पिक थी, यानी या तो कारावास की सज़ा दी जा सकती थी या केवल जुर्माना लगाया जा सकता था। अपराध दोहराने वाले को बढ़ी हुई और न्यूनतम सजा मिलनी थी। 1964 के अधिनियम 49 की धारा 9 द्वारा लाये गये संशोधन से परिवर्तन आये। परन्तुक में परिवर्तन किया गया। 1964 में पहला संशोधन चार बदलाव लेकर आया- इस प्रावधान में, अर्थात्, (i) प्रावधान को सभी खाद्य

पदार्थों पर लागू किया गया; (ii) कारावास की सजा छह साल तक बढ़ा दी गई; (iii) कम सज़ा की सीमा प्रदान की गई; और (iv) परंतुक में न्यूनतम सजा की कोई सीमा प्रदान नहीं की गई थी।

अन्य संशोधन यह थे कि धारा 16(एल)(ए) के उप-खंड (i) , 1964 में संशोधन के माध्यम से खाद्य पदार्थों की 'मिलावटी' और 'गलतब्रांडेड' वस्तुओं की परिभाषाओं को शामिल करने के लिए दो भागों में विभाजित किया गया था। इसमें मिलावटी और गलत ब्रांड वाले खाद्य पदार्थ शामिल थे। इन दो वस्तुओं, 'मिलावटी भोजन' और 'गलत ब्रांड वाले खाद्य' लेख को अधिनियम की धारा 2(i) और (9) में परिभाषित किया गया है।

अन्य संशोधन अधिनियम की धारा 16 के उप-खंड (i) थे। इसने धारा 16(1)(ए) को पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर दिया है। इसने एक या दूसरा अपराध करने वाले व्यक्तियों के बीच अंतर किया है, जैसा कि धारा 16 (1)(ए) और धारा 16(आई-ए) से स्पष्ट है। इसने तीन महीने की न्यूनतम सजा और रुपये 500 का जुर्माना निर्धारित करके प्रावधान में बदलाव भी लाया है।

धारा 16(आई-ए) का सजा का पैटर्न भी 1976 में बदल दिया गया है। उस संशोधन से पहले धारा 16(आई-ए) के तहत अपराध के लिए सजा का प्रावधान छह महीने था। 1976 के संशोधन ने इस सज़ा को बढ़ाकर एक वर्ष कर दिया। धारा 2 में खंड (1) और (एम) शामिल करने के लिए भी संशोधन किया गया, जो इस प्रकार हैं: -

"2(आइ-ए) मिलावटी"-खाद्य पदार्थ को मिलावटी माना जाएगा-

* * * *

#

* . * * *

* * * *

(1) यदि वस्तु की गुणवत्ता या शुद्धता निर्धारित मानक से कम है या उसके घटक परिवर्तन क्षमता की निर्धारित सीमा के भीतर नहीं मात्रा में मौजूद हैं जो इसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाता है;

(एम) यदि वस्तु की गुणवत्ता या शुद्धता निर्धारित मानक से कम हो या उसके घटक मौजूद हों। मात्रा परिवर्तन क्षमता की निर्धारित सीमा के भीतर नहीं है लेकिन जो इसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं बनाती है;

बशर्ते कि.....

9. न्यूनतम वाक्य की अवधारणा हमारी न्याय प्रणाली के लिए नई

नहीं है, लेकिन बहुत पुरानी है। भारतीय दंड संहिता के तहत कई अपराधों में न्यूनतम सज़ा का प्रावधान है। आपराधिक कानून में हालिया प्रवृत्ति कठोर, निवारक के साथ-साथ कुछ अपराधों के लिए न्यूनतम दंड निर्धारित करने के पक्ष में है, जो समाज के लिए खतरनाक हैं। ऐसे अधिनियमों में नवीनतम है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 जो कुछ अपराधों के लिए कठोर और न्यूनतम सजा प्रदान करता है। यद्यपि आधुनिक दिनों में आपराधिक सुधारों के कार्यक्रम बढ़ रहे हैं और अनेक लाभकारी कानून बनाए जा रहे हैं तथा अपराध के रास्ते पर चल रहे व्यक्ति को सुधारने के लिए तरीकों और उपायों पर विचार-विमर्श किया जाता है तथा उन्हें खोजा जाता है, फिर भी कानून की हर शाखा में ढिलाई नहीं बरती जा सकती। अपराध। जब भी और जहां भी विधायिका, आर्थिक अपराधों और समाज के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले आपराधिक अपराधों जैसे मामलों में सोचती है कि सजा कठोर होनी चाहिए ताकि यह अपराधी को परेशान कर सके और निवारक के रूप में कार्य कर सके, तो वह सजा प्रदान करती है। कठोर एवं कड़ी सजा के लिए कोई विधायी उपाय करना होगा। सख्ती से लागू किया। किसी क़ानून के आदेश को लागू करने के लिए, किसी अदालत की अध्यक्षता करने वाले अधिकारी के नरम विचारों के आधार पर नरमी का कोई महत्व नहीं होना चाहिए, जिसके समक्ष किसी अपराधी की सुनवाई हो। जब कानूनी प्रावधान अनिवार्य रूप में हो और किसी कार्य को एक विशेष तरीके से करने का निर्देश देता हो; हो सकता है कि एक वाक्य पारित करके यह केवल उसी तरीके से किया जाना चाहिए और किसी अन्य तरीके से नहीं। इस प्रकार

है विधायी उपाय अधिनियम की धारा 7/16 के तहत दोषी ठहराए गए अभियुक्तों से मिलने का मामला अदालतों द्वारा न्यूनतम सजा के साथ लागू किया जाना है।

10. मौजूदा मामले में नमूना दूध का था, जिसे अधीनस्थ अदालतों ने समवर्ती निष्कर्ष देते हुए मिलावटी माना है और इस तथ्य का प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी याद राम ने विरोध नहीं किया था। सवाल यह है कि क्या मामला अधिनियम की धारा 16 (I)(ए)(आई) या धारा 16(1)(ए)(आईआई) के अंतर्गत आता है। हरियाणा के विद्वान सहायक महाधिवक्ता श्री बीएस पवार ने तर्क दिया है कि निष्कर्षों के अनुसार मामले में दूध का नमूना निर्विवाद रूप से मिलावटी था। सार्वजनिक विश्लेषक ने इसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं पाया। अधिनियम की धारा 2(आइए) के उप-खंड (एम) में यह निर्धारित किया गया है कि यदि किसी वस्तु की गुणवत्ता या शुद्धता निर्धारित मानक से नीचे आती है या उसके घटक मात्रा में मौजूद हैं जो परिवर्तनशीलता की निर्धारित सीमा के भीतर नहीं हैं, लेकिन जो परिवर्तनशीलता प्रदान नहीं करते हैं यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो ऐसी खाद्य वस्तु को 'मिलावटी' माना जाएगा। इस मामले में सार्वजनिक विश्लेषक द्वारा देखी गई दूध वसा और दूध के ठोस पदार्थों में वसा की कमी से पता चलता है कि याद राम प्रतिवादी से लिया गया नमूना निर्धारित मानकों से नीचे था और परिवर्तनशीलता के निर्धारित मानकों के भीतर नहीं था। यह अधिनियम की धारा 2 के खंड (आईए) के उप-खंड (एम) के अंतर्गत आता है। उनके अनुसार इस उप-खंड (एम) के आधार पर, मामला धारा

16(1)(ए)(आई) के अंतर्गत आता है; अधिनियम के। कोई भी अन्य मामला जो अधिनियम की धारा 16 (1)(ए)(आई) के अंतर्गत आता है, अधिनियम की धारा 16 (1) (ए) (ii) के अंतर्गत आएगा। उन्होंने तर्क दिया कि बाद वाले खंड में धारा 2(आईए) के उप-खंड (एम) का कोई संदर्भ नहीं है।

11. याद राम प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री डीएस बाली ने आग्रह किया कि मामला अधिनियम की धारा 16(1)(ए)(ii) के अंतर्गत आता है, न कि धारा 16 (I)(ए)(आई) के अंतर्गत। उन्होंने *महाराष्ट्र के एससीआईटीटी* बनाम *बाबूराव रावजी म्हारुलकर डीएसआईडी, अन्य,* (6) (इसके बाद *बाबूराव* केस के रूप में संदर्भित) का हवाला दिया है, जिसमें उस मामले के अभियुक्तों से लिया गया नमूना कुल्फी (आइसक्रीम) का था। उसमें यह कहा गया था:-

> "खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 2(आईए)(1) में प्रावधान है कि खाद्य पदार्थ का एक लेख मिलावटी माना जाएगा। यदि खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता या शुद्धता निर्धारित मानक से कम हो जाती है, जो उसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बना देती है, तो उसे मिलावटी माना जा सकता है। धारा 2(आईए)(एम) में प्रावधान है कि खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता या शुद्धता निर्धारित मानक से कम होने पर उसे मिलावटी माना जाएगा, लेकिन जो उसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं बनाता है। हमारे सामने मौजूद मामले में, यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि दूध में वसा का कम प्रतिशत आइसक्रीम को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाता है।

खाद्य अपमिश्रण निवारण का नियम 5 प्रावधान करता है कि इन नियमों के परिशिष्ट बी में निर्दिष्ट विभिन्न खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के मानक उस परिशिष्ट में परिभाषित अनुसार होंगे। परिशिष्ट बी के पैराग्राफ ए 11.02.08 में आइसक्रीम, कुल्फी और चॉकलेट आइसक्रीम के मामले में 10 प्रतिशत दूध वसा का न्यूनतम मानक निर्धारित किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि पहले प्रतिवादी द्वारा बेची गई आइसक्रीम खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 2(आईए)(एम) के तहत मिलावटी थी। इसलिए, पहले और चौथे प्रतिवादी हैं। खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 की धारा 16 I (ए) (ii) के तहत दोषी ठहराया जा सकता है।

बाबूराव मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इस तथ्य के बावजूद कि नमूना अधिनियम की धारा 2(आईए)(एम) के अंतर्गत आता है, मामला धारा 16(1)(ए)(ii) के अंतर्गत आता है। अधिनियम का. श्री पवार, विद्वान सहायक महाधिवक्ता, हरियाणा का आग्रह है कि *बाबूराव मामले* में कोई कारण नहीं दिया गया है कि अधिनियम की धारा 2(आईए)(एम) के लागू होने के बावजूद, जिसका धारा में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है 16(1)(ए)(i) केवल धारा 16(1)(ए)(ii) में नहीं, मामला बाद वाले प्रावधान के अंतर्गत आता है। यद्यपि हरियाणा के सहायक महाधिवक्ता श्री बी.एस.पंवार के तर्क के पीछे कुछ दम प्रतीत होता है, फिर भी हम सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं, इस तथ्य के बावजूद कि *कुल्फी* अधिनियम के धारा 2(आईए)(एम),

के दायरे में आती है। अपराध अभी भी अधिनियम के खंड 16 (1)(ए)(ii) के अंतर्गत आता है। *बाबूराव मामले* में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से हम यह मानने के लिए बाध्य हैं कि याद राम के खिलाफ मामला अधिनियम की धारा 16(1)(ए)(ii) के दायरे में आता है। यह प्रश्न कि क्या मामला अधिनियम की धारा 16(1)(ए)(आई) या 16(1)(ए)(ii) के अंतर्गत आता है, केवल आकस्मिक है क्योंकि हमारे सामने मुख्य बिंदु यह है कि क्या नीचे दिया गया वाक्य किसी अभियुक्त को दोषसिद्धि के बाद अधिनियम द्वारा प्रदान की गई न्यूनतम सजा दी जा सकती है।

12. बाद में यह पता चला कि आपका मामला अधिनियम की धारा 16 (1)(ए)(ii) के अंतर्गत आता है, धारा 16(1) के परंतुक के पहले भाग की प्रयोज्यता खारिज किया जाता है। इस प्रावधान का केवल दूसरा भाग ही सजा के मामले को कवर करेगा।

13. अधिनियम की धारा 16 के तहत, न्यायालय पर्याप्त और विशेष कारण बताते हुए, आरोपी को उस अवधि की सजा दे सकता है, जो उसमें निर्धारित न्यूनतम से कम है। परंतुक की भाषा है:—

> "-----न्यायालय, फैसले में उल्लिखित किसी भी पर्याप्त और विशेष कारणों से, एक अवधि के लिए कारावास की सजा दे सकता है, जो तीन महीने से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जो पांच सौ रुपये से कम नहीं होगा";

परंतुक में प्रयुक्त शब्द 'हो सकता है' है, जो इस प्रावधान में निर्धारित

न्यूनतम से कम की सजा सुनाने से पहले लगाया जाता है। 'हो सकता है' शब्द का प्रयोग अदालत को मुख्य धारा में दिए गए दंड देने के लिए पर्याप्त और विशेष कारण बताने से भी परहेज करने का विवेक नहीं देता है। मामले के इस पहलू पर प्रभाव डालने वाले अधिनियम की धारा 16 के प्रासंगिक प्रावधान को फिर से प्रस्तुत किया गया है: -

> "धारा 6 के प्रावधानों के तहत जिस दंड के लिए वह उत्तरदायी हो सकता है, उसके अलावा वह कारावास से भी दंडनीय होगा, जिसकी अवधि छह महीने से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जाएगा।" जो एक हजार रूपये से कम न हो।"

यह वाक्य अधिनियम की धारा 16 के किसी भी खंड (ए) से (जी) के अंतर्गत आने वाले अपराध को संदर्भित करता है। प्रावधान को मुख्य प्रावधान के साथ पढ़ा जाना चाहिए। इन दोनों प्रावधानों को सामंजस्यपूर्ण रूप से लागू किया जाना चाहिए । हमने इस फैसले के पहले हिस्से में उनकी कहानी का पता लगाया है कि कैसे अधिनियम के तहत मामलों में सजा के इन उपायों को कठोर और कठोर बनाया गया था। यह परंतुक में 'हो सकता है' शब्द के अर्थ और भूमिका को देखने के लिए भी प्रासंगिक है। हमें यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए इसका भी अर्थ 'करना' है; अन्यथा यह विधानमंडल द्वारा कठोर प्रभाव डालने के लिए दंडात्मक प्रावधानों को बनाने में की गई पूरी कवायद को नष्ट कर देगा। परंतुक की भाषा यह है कि कारण पर्याप्त और विशेष होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कारण केवल पर्याप्त ही हों। प्रयुक्त शब्द

'और' है जो एक समुच्चयबोधक है। कारण पर्याप्त होने के साथ-साथ विशेष भी होने चाहिए। इन दोनों कारणों का अस्तित्व होना चाहिए और निर्णय से इन्हें स्पष्ट किया जाना चाहिए। इन दोनों में से किसी एक का अनुपालन मात्र पर्याप्त नहीं है। किसी भी मामले में विशेष कारण होना जरूरी है।

अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रदान की गई सजा से कम सजा देने के लिए दिया जाएगा। प्रावधान में यह भी कहा गया है कि जिन कारणों को अदालत पर्याप्त और विशेष मानती है, उन्हें फैसले में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। इन शब्दों का मात्र उल्लेख ही पर्याप्त नहीं हो सकता। कारणों को आगे बढ़ाना होगा कि ये कैसे पर्याप्त हैं और किस तरह से धारा के तहत निर्धारित न्यूनतम, यानी छह महीने से कम जुर्माना देने के लिए अदालत के दिमाग को प्रभावित करने के लिए विशेष हैं। अधिनियम के 16. क़ानून में दी गई सीमाओं के भीतर नरमी की ओर झुकाव के लिए अदालत के लिए इन कारणों का पता लगाना अनिवार्य है। जब तक ये कारण मौजूद नहीं पाए जाते, अधिनियम की धारा 16 का प्रावधान लागू नहीं होता है।

14. हम जानते हैं कि अधिनियम में इन शब्दों का जिस संदर्भ में उपयोग किया गया है, उसके संदर्भ में 'पर्याप्त' और 'विशेष' कारणों की कोई व्यापक परिभाषा नहीं हो सकती है। ये हर मामले में अलग-अलग हो सकते हैं. पर्याप्तता का आकलन उन परिस्थितियों की तात्कालिकता से किया जा सकता है जो कई मामलों में प्रबल हो सकती हैं और एक ही प्रकार की हो सकती हैं। विशेष कारणों का तात्पर्य यह है कि उस मामले की परिस्थितियों में उनका विशेष होना आवश्यक है, जिसका निर्णय चल रहा है।

15. धारा 16 के परंतुक की भाषा स्पष्ट एवं स्पष्ट है। यह सज़ा की अवधि को नरम कर देता है यदि अदालत द्वारा दिए गए कारणों का अस्तित्व मामले का निर्णय लेने वाले न्यायाधीश के विवेकपूर्ण और उचित

दिमाग को सज़ा में नरमी लाने के लिए राजी करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन प्रावधान के ढांचे के भीतर। . इसमें कहीं भी यह नहीं दर्शाया गया है कि इसमें दी गई न्यूनतम सज़ा को और भी कम किया जा सकता है। जब क़ानून ने न्यूनतम सज़ा तय कर दी है, तो कोई भी अदालत पर्याप्त और विशेष कारणों से भी इसे अधिनियम में दी गई सज़ा से कम नहीं कर सकती है। यदि इस तरह की अनुमति दी जाती है तो अधिनियम के तहत आपराधिक गतिविधियों की वृद्धि को रोकने के लिए सख्त सजा की नीति या न्यूनतम सजा की अवधारणा विफल होने की संभावना है।

16. इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नारनौल ने सजा सुनाई, जो अधिनियम की धारा 16 के परंतुक द्वारा प्रदान की गई न्यूनतम सजा से भी काफी कम है। प्रतिवादी की ओर से *उमराव स्मघ* बनाम *हरियाणा राज्य,* (7) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में इसका समर्थन करने की मांग की गई थी, जहां आरोपी की सजा कम कर दी गई थी और जुर्माना पहले ही चुका दिया गया था। को पर्याप्त माना गया और सजा को उस स्तर तक कम कर दिया गया। *उमराव सिंह के मामले* (सुप्रा) में उच्चतम न्यायालय ने कहा:-

> "पक्षों के वकील को सुनने के बाद, हम संतुष्ट हैं कि यह धारा 16(1)(ए) के प्रावधानों के तहत आने वाला मामला है और इसलिए पर्याप्त और विशेष कारणों से निर्धारित न्यूनतम से कम सजा दी जा सकती है। उच्च न्यायालय ने खुद को न्यूनतम सजा देने के लिए बाध्य महसूस किया, लेकिन योग्यता के आधार पर संतुष्ट था कि यदि कानूनी स्थिति की गारंटी दी गई तो अपीलकर्ता को कम

सजा दी जा सकती है। हम उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण से सहमत हैं ।"

इस मामले में पर्याप्त एवं विशेष कारण बताने की आवश्यकता पर बल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट धारा 16 द्वारा प्रदान की गई न्यूनतम से कम सजा को कम करने के लिए दिए गए पर्याप्त और विशेष कारणों से संतुष्ट था। कानून रिपोर्ट से यह ज्ञात नहीं है कि उमराव सिंह को कारावास और जुर्माने की सजा की मात्रा कितनी थी यह भी ज्ञात नहीं है कि क्या सजा मुख्य धारा या परंतुक में दी गई सजा से कम थी। चूंकि पर्याप्त और विशेष कारणों का संदर्भ है, इसलिए हमें यह निष्कर्ष निकालना होगा कि *उमराव सिंह के मामले* (सुप्रा) में सजा प्रावधान में प्रदान की गई सजा के अनुरूप थी। *उमराव सिंह का मामला* (सुप्रा), इसलिए, इस प्रस्ताव का अधिकार नहीं है कि पर्याप्त और विशेष कारण नहीं होने चाहिए। दिया गया या अधिनियम की धारा 16 के परंतुक में दिए गए प्रावधान से कम सजा दी जा सकती है। *हरियाणा राज्य* बनाम *ईशर डॉस (8)* में इस न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने सजा देने के उद्देश्य से इस प्रश्न पर विचार किया, हालांकि इस मामले में संदर्भित यह प्रश्न उस मामले में शामिल नहीं था। उसमें यह कहा गया था:-

" यदि अधिनियम के तहत कोई अपराध बनता है तो धारा 16 न्यूनतम सजा का प्रावधान करती है। न्यायालय उन कारणों का आविष्कार करके कम सजा देने का विकल्प नहीं चुन सकता है, जो धारा 16 के प्रावधानों के दायरे में नहीं आते हैं। कानून

की नीति खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ निवारक सजा पारित करना है, जो कि जोखिम हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य। इस इरादे से, विधायिका ने अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम और संहिता की धारा 360 के प्रावधानों के आवेदन पर रोक लगा दी। इस अधिनियम के तहत विचारित मामलों की आपराधिक प्रक्रिया। दंडविद्या की बदलती अवधारणा के बावजूद, अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों को अधिनियम में लागू होने से बाहर रखा गया है। ऐसा किया गया है और खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने से रोकने के विचार से न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया है। केवल उन्हीं आरोपियों को कम सजा दी जा सकती है जिनके मामले धारा 16 के प्रावधानों के दायरे में आते हैं और अन्य, जिनके मामले इसके दायरे में नहीं आते हैं, उनके लिए कोई नरमी नहीं दिखाई जा सकती है।

17. नारनौल के तत्कालीन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों ने *जीत सिंह के मामले* (सुप्रा) पर विचार किया। डिवीजन बेंच ने दोषी जीत सिंह को बरी करने के खिलाफ अपील स्वीकार करते हुए उसे 500/- रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें तीन माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जीत सिंह की सजा को कम करने के लिए डिवीजन बेंच द्वारा *उमराव सिंह के मामले (सुप्रा) पर भरोसा किया गया था।* हमने पिछले पैराग्राफ में उस मामले पर विचार किया है और पाया है कि *उमराव सिंह का मामला* (सुप्रा) यह नहीं बताता

है कि अधिनियम की धारा 16 के तहत मामले में इस धारा के परंतुक द्वारा प्रदान की गई न्यूनतम सजा से भी कम सजा दी जा सकती है।

पंजाब राज्य बनाम *मोहन लाई (9)* के रूप में रिपोर्ट किए गए एक अन्य मामले में, इस अदालत की एक डिवीजन बेंच ने अधिनियम की धारा 16 के साथ पढ़ी गई धारा 7 के तहत एक अपराध के लिए बरी करने के फैसले को रद्द करने के बाद मोहन लाई को दोषी ठहराया और सजा पर विचार किया। रुपये का भुगतान पहले ही हो चुका था। *मोहन लाई के मामले के* रिकॉर्ड से न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 500/- का जुर्माना पर्याप्त है, जैसा कि इस अदालत में उपलब्ध है, हम पाते हैं कि उसे जो सजा हुई थी वह अधिनियम की धारा 16 के परंतुक में प्रदान की गई न्यूनतम सजा से काफी कम थी। .

दौलत राम बनाम हरियाणा राज्य (10) में इस अदालत के एकल न्यायाधीश ने कारावास की सजा को घटाकर एक महीने और 1,000/- रुपये का जुर्माना कर दिया।

एक अन्य मामले में, *राम कुमार* बनाम *हरियाणा राज्य* (11) में इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभियुक्त की कारावास की सजा को घटाकर दो महीने के कठोर कारावास तक कर दिया, जिसे राम कुमार अपीलकर्ता पहले ही भुगत चुका था और जुर्माना की सजा को बढ़ा कर जुर्माना 2,000/- तक कर दिया।

इस अदालत के कई अन्य एकल पीठ के फैसले हैं। इसकी डिविजन बेंचों और सिंगल बेंचों द्वारा पुष्टि की गई। न्यायालय इस बात पर विचार

कर रहा है कि क्या वे पर्याप्त और विशेष थे, लेकिन एक बात जो निश्चित है वह यह है कि इस पैराग्राफ में हमारे द्वारा देखे गए मामलों में अधिनियम की धारा 16 और उसके प्रावधान के तहत सजा देकर कानून के प्रावधानों की अनदेखी की गई। *जीत सिंह का मामला, मोहन लाई का मामला, दौलत राम का मामला* और *राम कुमार का* मामला अधिनियम के प्रावधान के साथ विरोधाभासी होने के कारण और पूर्ण पीठ के *ईशर बास के मामले के फैसले को खारिज कर दिया गया है।* अन्य डिवीजन बेंच और सिंगल बेंच मामले, जिन्हें फैसले की मात्रा से बचने के लिए विशेष रूप से संदर्भित नहीं किया गया है या हमारे सामने उद्धृत नहीं किया गया है और जो *जीत सिंह के मामले में समान दृष्टिकोण व्यक्त करते हैं*, उन्हें भी खारिज कर दिया जाना चाहिए।

18. अब मामले पर आते हैं कि क्या याद राम द्वारा अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रदान की गई न्यूनतम सजा से कम सजा मांगने के लिए दिए गए कारण पर्याप्त और विशेष हैं, हम पाते हैं कि ये मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। पहला अपराध अपराध को कम नहीं करता। 'मामले का खुलासा होने से पहले याद राम न जाने कितनी बार मिलावटी दूध बेचता रहा है' हालांकि उसका कहना है कि वह कुछ दिनों के लिए ही इस धंधे में शामिल हुआ था। धारा 16 के प्रावधान को लागू करने के लिए यह शायद ही पर्याप्त आधार है। इसी तरह, यदि अभियुक्त के पास पालने के लिए बड़ा परिवार है या उसने दूध बेचने का व्यवसाय छोड़ दिया है तो यह नरमी का कोई आधार नहीं है। किसी व्यक्ति की आर्थिक तंगी उसे दूसरे लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं देती। आम

जनता के स्वास्थ्य की कीमत पर व्यभिचारियों को अपने परिवार का पालन-पोषण करने या उन्हें आरामदायक जीवन प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है। दूध बेचने का व्यवसाय छोड़ना किसी आरोपी द्वारा अधिनियम के तहत किए गए अपराध को माफ नहीं करता है। ये पर्याप्त आधार नहीं हैं और न ही इनमें कुछ खास है. विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने याद राम को बहुत कम सजा देकर छोड़ देने की कानूनी गलती की, जिसे कानून अवमानना की दृष्टि से देखता है। उसके पास कानून के तहत अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रदान की गई न्यूनतम सजा से कम सजा देने की कोई शक्ति नहीं थी। भले ही प्रो विज़ो लागू किया गया हो, हालांकि हमने माना है कि यह पर्याप्त और विशेष कारण की कमी के कारण नहीं है, तीन महीने से कम की सजा और रु 500/- जुर्माना नहीं दिया जा सका। इन कारणों से अपील स्वीकार की जाती है और ऊपर बताए गए सजा के आदेश को रद्द किया जाता है।

19. इसलिए, हम प्रतिवादी याद राम को उन अपराधों के लिए छह महीने के कठोर कारावास और 1,000/- रुपये का जुर्माना भरने की सजा देते हैं, जिसके लिए उसे दोषी ठहराया गया है। जुर्माने का भुगतान न करने पर उसे दो महीने के लिए अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

एचएसबी

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ

सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रीतिका शर्मा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
करनाल, हरियाणा